भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AD 946764

यह जनरल स्टाम्प पत्र ईसार्ट इन्स्टीट्यूट फाउण्डेशन

जिला हरदोई फाईल नं० 122911

वर्ष 2019-20 के साथ संलग्न है

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

लखनऊ

29.07.19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 192695

यह जनरल स्टाम्प पेपर ईसार [illegible] फाउण्डेशन
जिला हरदोई फाईल नं० 127/11
[illegible] के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ.
29/07/15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 192696

यह जनरल स्टाम्प पेपर ईशा [illegible] फाउंडेशन

जिला हरदोई फाईल नं० 122811

संशो० नियमावली के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान. सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

ईसार इज़्ज़त फाउण्डेशन

पता–ग्राम सुखनखेडा पोस्ट–भटौली, विकास खण्ड बेंहदर, तहसील–सण्डीला, जिला–हरदोई

के प्रबन्धकारिणी समिति की संशोधित सूची वर्ष 2019–2020

क्रम सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री नसरूद्दीन शाह पुत्र श्री सबाहत अली	ग्राम सुमाही, पो0– नरहरपुर, जनपद–गोण्डा, उ0प्र0	संरक्षक	समाजसेवा
2.	शेख रूम्मान पुत्र श्री शेख ईसारूल हक	ग्रा0–रसूलपुरआंट पो0–असही आजमपुर तह0–सण्डीला,जनपद–हरदोई	अध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री मशरूर अहमद पुत्र श्री हब्दुल हादी	ग्राम व पोस्ट असही आजमपुर, जनपद हरदोई, उ0प्र0	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
4.	श्री अभिषेक सिंह राणा पुत्र श्री बृजकिशोर	ग्राम पेटियारी, पोस्ट–सुभानखेड़ा, तह0–सण्डीला, जनपद–हरदोई	महासचिव / कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	मसकूर अहमद पुत्र अब्दुल हादी	ग्राम–व पोस्ट–असही आजमपुर, जनपद–हरदोई	उप महासचिव	समाजसेवा
6.	रूबीना बेगम पुत्री श्री मोहम्मद नईम	ग्राम बारा, पोस्ट बारा, तह0– अफसरपुर, जनपद–कानपुर देहात, उ0प्र0	सचिव	समाजसेवा
7.	मोहम्मद हारून पुत्र श्री मोहम्मद मोहतसीम	ग्रा0–रसूलपुरआंट पो0–असही आजमपुर, तह0–सण्डीला, जनपद–हरदोई	उप सचिव	समाजसेवा
8.	जुनैद अहमद पुत्र श्री जुबैर अहमद	ग्रा0–रसूलपुरआंट पो0–असही आजमपुर, तह0–सण्डीला, जनपद–हरदोई	विधिक सलाहकार	समाजसेवा
9.	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री रामकिशोर	फ्लैट नं0–102, रौनक प्लाजा, कम्पबेल रोड, बालागंज, जनपद–लखनऊ	आडीटर	समाजसेवा
10.	राहत अब्बास पुत्र श्री औन मोहम्मद	प्लाट नं0 35, नारायन गार्डन हरदोई रोड, सफेद मस्जिद बालागंज, जनपद–लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्री आनन्द विक्रम सिंह पुत्र श्री दानवीर सिंह	503 / 617 बरौलिया, डालीगंज, जनपद–लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
12.	मो0 इरफात पुत्र मो0 इम्बिसात	रसूलपुर ऑट, पो0–असही आजपुर, तह0–सण्डीला, जनपद–हरदोई	सदस्य	समाजसेवा

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षरः

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
29.07.19

Nasruddin Shah Rahat Abbas

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– **ईसार इब्रत फाउण्डेशन**

2. संस्था का पता:–ग्राम सुखनखेडा पोस्ट–भटौली, विकास खण्ड बेंहदर, तहसील–सण्डीला, ज़िला–हरदोई उ0प्र0

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत ।

4. संस्था के उद्देश्य निम्नवत है :–

1. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास कराना
2. शैक्षिक विकास हेतु गुरूकुल पद्धति शैक्षणिक विद्यालयों/मदरसों, बालक/बालिका विद्यालयों/अल्पसंख्यक विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना तथा विधि विद्यालय एवं बी0एड0 कालेज, बी0पी0एड0 कालेज, बी0टी0सी0 कालेज, बी0एल0एड0 कालेज, इंजीनियरिंग कालेज,मेडिकल कालेज, डेन्टलकालेज, आयुर्वेद कालेज, होम्योपैथिक कालेज, युनानी कालज,नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल कालेज,विश्वविद्यालय, संगीत विद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था तथा स्थापना शासन की पूर्व अनुमति से कराना।
3. संस्था विश्व वैश्वीकरण के दौर में अपने प्रशिक्षुओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बारे में जानकारी देते हुए उसके विकास व रोजगार की दिशा मे उन्हे उन्नत व सृजनशील बनायेगीं।
4. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा, तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण, तकनीकी शिक्षण, इलेक्ट्रानिक शिक्षण, सम्बन्धी लोगों को शिक्षण देना एवं आई.ए.एस.,पी.सी.एस.,पी.एम.टी , सी.पी.एम.टी. एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्सो की पूर्व परीक्षा के निःशुलक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. खादी व ग्रामोद्योग के विकास हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग/केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य निर्गमित निकायों,बैकिंग संस्थाओं और कोई भी दूसरे ग्रामोद्योग के विकास हेतु मान्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की मॉग करना ।
6. ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था करना ।
7. ज्ञानवर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय, धर्मार्थ चिकित्सालय, आर्युवैदिक चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनाथालय, मूक बधिर विद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावास, खेलकूद, गौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी, आंगन बाड़ी की स्थापना व प्रचार–प्रसार करना।

सत्य प्रतिलिपि

Nasruddin Shah – प्रधान सहायक Rahat Abbas
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
29/7/19

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज़ ... लखनऊ (उ०प्र०)

8. महिलाओं/बालिकाओं/युवाओ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, संगीत, थियेटर, फैशन डिजाइनिंग, साहित्य, क्रियेटिंग राईटिंग, चिकन, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, आफसेट प्रिंटिग, पेंटिंग,बाल पेंटिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना एव गरीब व अनाथ बालिकाओ का निःशुल्क विवाह आदि करवाना।

9. गौशालाओं का निर्माण एवं संचालन करना तथा आवारा व बेसहारा पशुओं को एकत्र कर उनके चारा पानी की व्यवस्था करना ।

10. संस्था द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतो जैसे–बायोफ्यूल/बायोगैस/सौर ऊर्जा आदि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व विश्व बैंक के कार्यक्रमों में भागीदारी एवं कार्य करते हुए समाज को जानकार एवं आत्मनिर्भर बनायेगी।

11. संस्था के कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय महिला कोष,राष्ट्रीय अल्प संख्यक एवं वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग विकास निगम, विकलांग विकास निगम निःशुल्क क्रियान्वयन करना।

12. समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्टाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्थां करना, विकलांग,छात्र छात्राओं को प्रशासनिक स्तर की पढ़ाई तैयारी कराकर परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए प्रेरित करना।

13. पेयजल प्रबन्धन,आपदा प्रबन्धन,संकट कालीन प्रबन्धन, सामाजिक वानिकी, बागवानी इत्यादि से सम्बद्ध परियोजनाओं पर कार्य करना एवं उनका संचालन करना ।

14. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु नीतिआयोग की योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों, टाऊन क्षेत्रों, नगरों में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत साफ–सफाई के कार्यो को कराना व सहयोग कराना।

15. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, पुलिया निर्माण में शासन का सहयोग करना।

16. तालाब एवं पोखरों, नदियों को स्वच्छ भारत योजना के अनतर्गत साफ–सफाई कर एवं सौन्दरयीकरण कराना तथा जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार करना ।

17. हरे वृक्ष काटने वालों के विरूद्ध सामाजिक जन चेतना जागृति करना।

18. फल, सब्जी प्रीजर्वेशन संरक्षण, मांस–मछली संरक्षण,मुर्गी पालन,भेंड़ पालन, डेयरी इतयादि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

19. योग साधना के माध्यम से समाज तथा शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा योग साधना के माध्यम से सर्वागीण विकास करना तथा प्रचार–प्रसार करना।

सत्य प्रतिलिपि

Nasruddin shah Rahat Abbas

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ
29/3/19

20. संस्था द्वारा अन्य सामाजिक संस्थाओं पारसपरिक सम्बन्ध बनाकर एवं समाजसेवा सुदृण बनाने पर बल देना।

21. कौशल विकास मिशन योजना द्वारा संचालित एवं स्वीकृत 416 ट्रेड जो कि 34 सेक्टर में निहित है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर प्रशिक्षण कार्यो को संचालित कराना एवं स्वरोजगार हेतु दक्षता प्रदान कर स्वावलम्बी तथा प्रवीण बनाना।

22. संस्था के द्वारा कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कौशल केन्द्रों एवम् कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा प्रचार-प्रसार करना।

23 विदेशी व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समाज के सभी वर्गो के उत्थान (ग्रामीण व शहरी) के लिए जो समाज के हित में आवश्यक हो विदेशी सहायता प्राप्त कर विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी कमीशन व अन्य विभिन्न वित्तीय विभागीय संस्था व अनुसूचित जाति के महिलाओं व बच्चों एवं पुरूषों हेतु कार्यक्रम बनाना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

24. संस्था द्वारा बेहतर शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि क्षेत्र में शोध/रिसर्च सेन्टर एवं प्रयोगशाला स्थापित करना।

25. संस्था सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के विस्तार हेतु विकास खण्ड/तहसील/जनपद/मुख्यालयों /प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के नेटवर्क द्वारा प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करेगी जिससे कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर सके।

26. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिफ्सा, शिक्षा विभाग पर्यावरण मंत्रालय, सैफ इण्डिया आदि से अनुमति प्राप्त कर उनके द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।

27. संस्था द्वारा अलग-अलग जगहों पर अपने विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की अनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एवं बायोजटेक्नोलॉजी एवं सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्थापना करेगी। वहाँ तकनीकी शिक्षा/औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यकमों के माध्यम से इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करेगी। जिससे प्रशिक्षण प्राप्त युवकों/युवतियों द्वारा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके।

28. संस्था अपने कार्यकमों द्वारा विद्यालयों /महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपने तकनीकी शिक्षण के बारे में जानकारी देगी और उन्हे तकनीकी शिचा से जोड़ने का प्रयास करेगी ताकि उनका झुकाव परम्परागत नौकरियों से हट कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित हो।

29. एड्स, कैन्सर, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

25.07.17

Nasruddin Shah

Rahat Abbas

30. जनहितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, शादी गृह, अतिथि गृह आदि की स्थापना करना।

31. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, बैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन शिक्षा,पर्यटन विकास, गरीबी उन्मूलन, मलिन बस्ती विकास, वैज्ञानिक खोज, हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, ऊसर बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, मतस्य विभाग, गौ संरक्षण, गौ पालन, सतही एवं भू-जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशुपक्षी (जीव-जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

32. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, ओला वृष्टि, तूफान, आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

33. युवा प्रतिभाओं को उर्दू, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना ।

34. एच0आई0वी0, एड्स, यौन संचरित रोग, यौन रोग, यौन समस्यायें (शारीरिक या मानसिक) तथा अन्य रोगों के प्रति लोगो को जागरूक कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एव नगरीयविकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना। करना, बचाव व रोकथाम के उपाये बताना तथा उचित व आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना।

35. समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सिफ्सा, सेफ, इण्डिया, डूडा, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्वबैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्प संख्यक विभाग एवं महिला कल्याण निगम, मतस्य विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग कल्याण द्वारा संचालित महिला एवं बालविकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एव नगरीयविकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

36. महिलाओं/बालिकाओं/युवाओ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दरदोजी, शिल्पकला, ललित कला, काष्ठकला, सगीत, साहित्य, नृत्य थियेटर, अविनय, फोटोग्राफी, क्रियेटिंग राईटिंग, फैशन शो एवं डांस कम्पटीशन, ब्यूटीशियन, फैशन डिलाइनिंग, जरी, चिकन, डाल मैंकिंग, फ्लावर मैकिंग, फल प्रसंस्करण, प्रिंटिंग,स्क्रीन प्रिंटिग, पेंटिंग, बाल पेंटिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।

37. मूक, बघिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवावों, वृद्धों तथा निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

Nasruddin Shah

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Ishrat Abbas

38. सोसाइटी के तहत चलने वाले इदारों की अपनी लाइब्रेरी और आवाम के लिए बुक स्टाल खोलना जिसमें मजहबी इस्लामी कौमी अरबी हिन्दी उर्दू और अंग्रेजी की किताबें हों।
39. नयी युवा प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
40. कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु सर्वेक्षण शोध एवं अनुसंधान कार्य करना।
41. राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सम्बद्ध योजनाओं पर कार्य करना तथा उनका संचालन करना।
42. कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना जिसमें हार्डबेयर, साफ्टवेयर, टैली, डी0टी0पी0, इन्टरनेट का प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना, साथ ही अन्य प्रकार के अन्य तकनीकी शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
43. संस्था के उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उप-समितियों का निर्माण कर विभिन्न जनपदों में कार्यक्रमों को संचालित करना।
44. गरीब और जरूतरमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर मुफ्त सेवा उपचार और दवाइयाँ उपलब्ध कराना एवं उनका प्रचार-प्रसार करना।
45. तकनीकी शिक्षा प्रदान करना एवं इस इस कार्य हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना एवं संचालन करना।
46. 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं 1 से 8 तक के बच्चों को पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत पुष्टाहार उपलब्ध कराना एवं यूनीसेफ के द्वारा प्रदत्त अनेक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा सम्मेलन, विचार गोष्ठी इत्यादि आयोजित कराना।
47. समाज के विज्ञान के लोकप्रियकरण व विज्ञान के प्रचार -प्रसार हेतु विचार गोष्ठियों प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा वैज्ञानिक अविष्कार के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का आयोजन करना।
48. स्व-रोजगार अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना एवं विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी देना तथा आवश्यकतानुसार उनके निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
49. सरकार द्वारा अल्प संख्यकों पिछड़े वर्ग के लोगों एवं महिलाओं की उन्नति के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
50. सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, भ्रष्टाचार आदि के उन्मूलन हेतु प्रयास करना तथा उनके प्रति जागरूकता लाना।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
20/8/19

Nasruddin Shah   Zahat Abbas

51. विश्व शान्ति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों में सांस्कृतिक सद्भावना सौहार्द एवं सामजस्य की स्थापना हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

52. देश के नागरिकों में संस्था के माध्यम से एकता एवं अखण्डता हेतु कवि सम्मेलन एवं मुशायरा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर एक नए समाज का पुनर्गठन करना।

53. संस्था द्वारा जगह–जगह पर गौ शालाओं का निर्माण कराना। गायों के कल्याण हेतु स्वास्थ सेवायें,सचल चिकित्सालय एवं पशुओं की देखभाल के लिए आश्रम गृहों का निर्माण, संचालन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

54. संस्था द्वारा निःआवास, गरीब, असहाय, बेसहारा एवं दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आवासों, अनाथालय, चिक्तिसालयों, शैक्षिक संस्थाओं हेतु व्यवस्था हेतु स्थापना करना।

55. उपभोगता एवं पर्यावरण सुधार हेतु प्रदूषण के विरूद्ध जनजागरण व वृक्षा रोपण जैसे राष्टीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।

56. संस्था द्वारा समाज में भारत की एकता अखण्डता हेतु हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, जैन आदि धर्मो के स्वयसेवी संगठनों से पारस्परिक सम्बन्ध बनाकर समाज सेवा का कार्य करना।

57. देश में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, समूह द्वारा धर्मवाद जातिवाद तथा भारतीय संस्कृति के विपरीत कार्य करने व बढ़ावा दिये जाने पर रोकना तथा उन्हें भारत की एकता अखण्डता हेतु आपसी प्रेम भाईचारा एवं आपसी सौहार्द कायम करने हेतु प्रेरित करना।

58. बालक बालिकाओं के भौतिक विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण इलाको में पार्ट टाइम शिक्षण एकेडमियों की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन–पाठन की समुचित व्यवस्था करना।

59. गाँव से शहर की ओर पलायन समस्या एवं निदान, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या एवं निदान, कृषि क्षेत्र की समस्या एवं निदान, जल संसाधनों से जुड़ी समस्यायें एवं सनिदान, सिंचाई संसाधनों में कृषकों की भागीदारी, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की समस्यायें एवं निदान, पंचायत राज व्यवस्था में सुधार इत्यादि पर विचार गोष्ठियों एवं सेमीनार आदि का आयोजन एवं केन्द्रों की स्थापना करना।

सत्य प्रतिलिपि

Nasruddin Shah   Rahat Abbas

सहायक ... रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, लखनऊ

29.5.19

60. संस्था द्वारा समाज में भारत की एकता अखण्डता हेतु हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध, जैन आदि धर्मो के पारस्परिक सम्बन्ध बनाकर समाजसेवा का कार्य करना।

61. प्राकृतिक सम्पदा (जैविक एवं वनस्पतिक) एवं पर्यावरण सन्तुलन को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु विश्वस्तरीय जागरूकता पैदा करना।

62. सामाज में सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास करना समाज के सभी लोगों विशेष कर, निर्धन वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग, सामान्य महिलायें/बालक–बालिकाओं को आत्मनिर्भर का प्रयास करना।

63. घरेलू उद्योग धन्धों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु महिलाओं एवं समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
29.8.12

Nasruddin Shah

Rahat Abbas

:: संशोधित नियमावली ::

1. **संस्था का नामः–** ईसार इब्रत फाउण्डेशन

2. **संस्था का पताः–** ग्राम सुखनखेडा पोस्ट–भटौली, विकास खण्ड बेंहदर, तहसील–सण्डीला, जिला–हरदोई

3. **संस्था का कार्यक्षेत्रः–** सम्पूर्ण भारत।

4. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः–**

सदस्यता–

इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते हों, सदस्यता हेतु प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को स्वीकृत करने के बाद ही बनाये जायेगें।

आजीवन सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एकमुश्त रूपया 51000/– नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य–

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 10000/– वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा, संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

विशिष्ट सदस्य–

जो विद्वान, बुद्धिजीवी लोग समिति के उद्देश्यो का पूर्ति करते हुए विद्या तथा ज्ञान द्वारा समिति की सदस्यता ग्रहण करेंगें वे उसके विशेष सम्मानित सदस्य होंगें।

5. **सदस्यता की समाप्ति–**

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
6. अविस्वास प्रस्ताव एवं त्यागपत्र पारित होने पर ।
7. बिना सूचना दिये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

6. **संस्था के अंग–**

अ– साधारण सभा।

ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

7. **साधारण सभा का गठन–**

संस्था के आजीवन, सामान्य एवं विशिष्ट सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Nasruddin Shah ... Abbas

सूचना अवधिः–

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व, सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्तिः–

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्ध–कारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिर्पोट पास करना।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

8. **प्रबन्धकारिणी समिति का गठन–**

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें

संरक्षक	–	एक	सचिव	–	एक
अध्यक्ष	–	एक	उप सचिव	–	एक
उपाध्यक्ष	–	एक	विधिक सलाहकार	–	एक
महासचिव/कोषाध्यक्ष	–	एक	आडीटर	–	एक
उप महासचिव	–	एक	सदस्य	–	तीन

होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 12 होगी तथा आवश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।

बैठकें:–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रशासनिक सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Nasruddin Shah

Rafat Abbas

सूचना अवधि:-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व, सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति:-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. संस्था की उन्नति के लिए कार्य कराना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।,
3. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, ड्वाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया,आफ्सफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष,विश्व बैंक, केयर, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय उ0प्र0, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग उ0प्र0, शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश, केन्दीय/उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक विभाग/बोर्ड उ0प्र0, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउन्डेशन,पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, दिव्यांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग उ0प्र0, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, मत्स्य विभाग, सांसद निधि, विधायक निधि, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, इस्लामिक डेवलपमेन्ट बैंक (आई0डी0बी0), रेड क्रास, राबता आलमे इस्लामी, इस्लामिक रिलीफ इत्यादि तथा अन्य स्रोतों से ऋण, दान, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
4. संस्था की शाखाओं एवं उच्च समितियों का गठन करना, उन पर नियंत्रण रखना।
5. संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय-विक्रय व लीज पर प्राप्त करना व प्रदान करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

कार्यकाल:-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा।

सत्य प्रतिलिपि

Nasruddin shah — Rahat Abbas

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

9. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–**

संरक्षकः–1. संस्था को संरक्षण प्रदान करना ।

2. संस्था के समस्त निर्णयो मे अन्तिम निर्णय संरक्षक का होगा ।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
4. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
5. संस्था के विकास हेतु पूर्ण सहयोग करना।
6. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्काशन व निलंबन करना।
7. लेखों एवं विलेखों पर हस्ताक्षर करना।
8. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
9. संस्था के कार्यो को मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।

अध्यक्ष :–

1. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।
3. पिछ्ली कार्यवाही बैठक में पढ़कर सुनाना व लिपिबद्ध करना।
4. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
5. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
6. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
7. सभी वादो की पैरवीं करना तथा सभी प्रकार त्रुटियों एजेण्डे भेजवाना व कार्यवाही करना।
8. उपरोक्त सभी विभागों में पैरवी व समंजस्य स्थापित करना।
9. बिल, बाउचर, चेक, नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र, डिमाण्ड पत्रों व प्रोजेक्ट इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।
10. संरक्षक की अनुपस्थिति में संरक्षक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना व उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

उपाध्यक्ष:–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना व उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
29/5/19

Nasruddin Shah   Abbas

महासचिव/कोषाध्यक्षः–

1. सदस्यों से चन्दा, दान, अनुदान प्राप्त कर यथा विधि रसीदें देना।
2. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
3. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का नियमानुसार भुगतान करना।
4. संस्था के अध्यक्ष के अनुसार हर वर्ष आय–व्यय का ब्योरा देना।
5. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
6. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
7. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
8. सदस्यों एवं पदाधिकारियों को बैठकों की सूचना देना।

उप महासचिवः–

1. मुख्य सचिव/कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में मुख्य सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

सचिवः–

1. उप मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में उप मुख्य सचिवा द्वारा प्रदत्त अधिकारों काप्रयोग करना ।

उप सचिवः–

1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

विधिक सलाहकारः–संस्था द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों मे मतभेदों को दूर कर उचित सलाह देना।

आडीटर :– संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट संस्था द्वारा नियुक्त आडिटर द्वारा प्रतिवर्ष होगा।

10. **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः–**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा की जायेगी।

11. **संस्था का कोषः–**

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या सिड्यूल्ड बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण एवं वितरण संरक्षक के एकल हस्ताक्षर द्वारा या अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर द्वारा या महासचिव/कोषाध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर द्वारा या तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा होगा।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

Nasruddin shah Rahat Abbas

12. <u>संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षणः–</u>

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. <u>संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः–</u>

संस्था द्वारा होने वाले पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी संरक्षक, अध्यक्ष एवं महासचिव/कोषाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. <u>संस्था के अभिलेखः–</u>

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. एजेन्डा रजिस्टर
5. कैश बुक आदि

15. <u>संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।</u>

दिनांकः–

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

लखनऊ मण्डल लखनऊ

Nasruddin Shah